न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना संख्याः— 320 / 2019

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी

भजुराम पुत्र श्री रीमाराम,
जाति बिश्नोई निवासी खिन्दाकोर
तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित—

प्रार्थी :—अधिवक्ता श्री रामकिशोर औझा।

अप्रार्थी :— सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

—:निर्णयः—

दिनांक 20.01.2020

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है:— प्रार्थी व अन्य की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 85 रकबा 132 बीघा 08 बिस्वा ग्राम खिन्दाकोर तथा खसरा नम्बर 104 / 5 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 125 रकबा 169 बीघा 03 बिस्वा ग्राम मगरानगर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश भजना पुत्र रिमा दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि भजुराम पुत्र रीमाराम के नाम से बने हुए हैं। उक्त सभी दस्तावेजों की प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। राजस्व रेकर्ड व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के नाम में एकरूपता नहीं होने की वजह से प्रार्थी अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बैंक ऋण लेने में भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 85 रकबा 132 बीघा 08 बिस्वा ग्राम खिन्दाकोर तथा खसरा नम्बर 104 / 5 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 125 रकबा 169 बीघा 03 बिस्वा ग्राम मगरानगर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम भजना पि. रिमा दर्ज है जो गलत है, उसके स्थान पर सही नाम भजूराम पुत्र रीमाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें ग्राम (मूल) खिन्दाकोर के म्युटेशन संख्या 282 में भजूराम के पिता रिमा का फौतेदगी नामान्तरकरण भरते समय रिमाराम के स्थान पर खंगार, मोहन, धना, भजना पि. रिमा दर्ज हुआ जो स्वीकृत होकर आदिनांक जमाबन्दी में दर्ज है अतः नामान्तरकरण संख्या 282 में से दर्ज अनुसार ग्राम खिन्दाकोर के खसरा नम्बर 85, 85/1, 85/2 व 98/4 व ग्राम मगरानगर के खसरा नम्बर 104/5, 125 व ग्राम हाणियां के खसरा नम्बर 127/6 व ग्राम देवराजनगर के खसरा नम्बर 23/4 में भजना दर्ज है उपरोक्त खसरा नम्बरों में भजना के स्थान पर भजूराम शुद्ध दर्ज किया जाना प्रस्तावित है। अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र रेकर्ड पर लिया गया।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 85 रकबा 132 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 85/1 रकबा 77 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 85/2 रकबा 21 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 98/4 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा ग्राम खिन्दाकोर, खसरा नम्बर 127/6 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा ग्राम हाणिया, खसरा नम्बर 23/4 रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा ग्राम देवराजनगर तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम भजना पि. रिमा के स्थान पर सही नाम भजुराम पि. रीमाराम तथा खसरा नम्बर 104/5 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा खसरा नम्बर 125 रकबा 169 बीघा 03 बिस्वा ग्राम मगरानगर, तहसील ओसियां में नाम मोहन, भजना, धना के स्थान पर मोहन, भजुराम, धना पि. रीमाराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 20/01/20 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner